न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 340/23 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/365)

प्रहलाद पुत्र धन्ना लाल अहीर जाति अहीर निवासी ग्राम डांगरवाडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार सवाई मांधोपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर मु0नं0 13/2019 प्रहलाद बनाम सरकार निर्णय दिनांक 29.09.2023

उपस्थितिः–

श्री आरिफ अली वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 22.08.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 29.09.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि ....'' प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 187 रकबा 1.26 है0 वाकै ग्राम आछेर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर में स्थित है। जिसका साविक खसरा नम्बर 21/2 रकबा 5 बीघा है जिस पर प्रार्थी आवंटन समय से ही कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में प्रहलाद पुत्र धन्नालाल अहीर के बजाय प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर का अंकन कर दिया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थी को पहले कभी नहीं हुई जब सिंचाई विभाग द्वारा एनीकट तालाब बनाये जाने पर उक्त आराजी डूब में आने पर प्रार्थी सिंचाई विभाग कार्यालय में गया तो ज्ञात हुआ उक्त आराजीयात का अंकन प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर निवासी आछेर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 187 रकबा 1.26 है0 पर प्रार्थी आवंटन समय से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। आछेर में प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर नाम का कोई भी पुराना व नया व्यक्ति निवास नहीं करता है मात्र प्रार्थी ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर निवासी आछेर के स्थान पर प्रहलाद पुत्र धन्नालाल जाति अहीर निवासी डांगरवाडा का इन्द्राज किया जाकर जमाबन्दी में इन्द्राज दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जावे। ....'' तहत अदालत उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2023 को पारित कर अपीलान्ट की ओर से एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर वांछित अनुतोष दिये जाने से इनकार कर दिया गया। इस पर उपखण्डाधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2023 के विरूद्ध अदालत हाजा में एल आर एक्ट की धारा 75 के तहत अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैसपोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं लिहाजा वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.09.2023 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि अपीलान्ट को ग्राम आछेर तहसील सवाई माधोपुर के साविक खसरा नंबर 21/2 रकबा 5 बीघा विवादित भूमि का आवंटन किया गया था। जिसके हाल खसरा नंबर 187 रकबा 1.26 है0 है। उक्त भूमि पर वक्त आवंटन से ही अपीलान्ट का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट को हुये आवंटन के संबंध में राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के पिता का नाम प्रहलाद पुत्र धन्नालाल अहीर की बजाय प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर कर दिया गया। ग्राम आछेर में प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर नाम का कोई व्यक्ति न तो पूर्व में ही रहा है और न ही नया व्यक्ति ही निवास कर रहा है। इसलिये राजस्व रिकार्ड में प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर निवासी आछेर के स्थान पर प्रहलाद पुत्र धन्नालाल जाति अहीर निवासी डांगरवाड़ा का इन्द्राज किया जाकर जमाबन्दी में दुरूस्त किया जावे, परन्तु अदालत मातहत द्वारा बिना कोई जॉच किये अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का आदेश अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.09.2023 के द्वारा दिया है, जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट की ओर से मतदाता सूची, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 05.10.2023 की प्रति भी अदालत हाजा में पेश की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त गांव में केवल अपीलान्ट के नाम का एक ही व्यक्ति है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का ही कब्जाकाश्त है। अदालत मातहत में केवल नाम में दुरूस्ती कराये जाने बाबत अपीलान्ट की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसको अदालत मातहत द्वारा बिना किसी जॉच या परीक्षण के निरस्त किया है। अतः अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की आरे से पारित निर्णय दिनांक 29.09.2023 निरस्त किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिया जावे कि विवादित भूमि के संबंध में राजस्व रिकार्ड में प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर के स्थान पर अपीलान्ट प्रहलाद पुत्र धन्नालाल अहीर का नाम दर्ज किया जावे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम आछेर के खसरा नंबर 187 रकबा 1.26 है0 भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर निवासी आछेर के स्थान पर अपीलान्ट प्रहलाद पुत्र धन्नालाल अहीर के नाम दर्ज किये जाने व तदानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भी प्रविष्टि किये जाने का अनुतोष चाहा गया था। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार सवाई माधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा पत्र दिनांक 28.01.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर को इस आशय की रिपोर्ट प्रेषित की गई कि ग्राम आछेर की जमाबन्दी सम्वत् 2037–40 के खाता संख्या 64 में प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर का नाम खसरा नंबर 21/2 रकबा 5 बीघा दर्ज है। हाल खसरा नंबर 187 रकबा 1.26 है0 साविक खसरा नंबर 21 मिन से बना है। ग्राम आछेर में नामान्तकरण संख्या 107 दिनांक 06.05.1976 से खसरा नंबर 21/2 रकबा 5 बीघा प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर के नाम गैर खातेदारी से स्वीकृत होना बताया है, जो दिनांक 08.11.1975 को आवंटित हुआ था। उक्त भूमि सिंचाई विभाग के नवीन तालाब के डूब में आ गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नंबर में प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर के स्थान पर प्रहलाद पुत्र धन्नालाल अहीर के नाम शुद्धीकरण चाहा जा रहा है। उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा प्रार्थी की ओर से चाहा गया अनुतोष दिये जाने के संबंध में किसी प्रकार की कोई अभिशंषा नहीं की गई। इसके पश्चात प्राप्त हुई रिपोर्ट दिनांक 24.12.2019 में खसरा नंबर 187 रकबा 1.26 है0 पर प्रहलाद पुत्र धन्नालाल का कब्जा होना बताया गया है तथा रिपोर्ट के साथ भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई फर्द मौका रिपोर्ट भी संलग्न कर प्रेषित की गई। उक्त प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 29.09.2023 के द्वारा यह मानते हुये निरस्त किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 40 के खाता संख्या 64 में प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर के नाम खसरा नंबर 21/2 रकबा 5 बीघा दर्ज है। इससे हाल खसरा नंबर 187 रकबा 1.26 है0 बना है। नामान्तकरण संख्या 107 दिनांक 06.05.1976 से गैर खातेदारी से खातेदारी भी प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर के नाम स्वीकृत हुई है। जिसका आवंटन दिनांक 08.11.1975 को किया गया था, यह मानते हुये कि विवादित भूमि का आवंटन प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर के नाम से किया गया था तथा गैर खातेदारी से खातेदारी भी इसी नाम से हुई है। उक्त प्रकरण में भू प्रबंध विभाग या राजस्व विभाग की ओर से कोई गलती नहीं होना मानकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को यह मानते हुये खारिज किया गया है कि आवंटन में गलती होने के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

22-8-2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

से पारित उपरोक्त निर्णय दिनांक 29.09.2023 में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में वर्णित प्रावधान के अनुसार उक्त धारा के तहत केवल गलतियों का शुद्धीकरण ही किया जा सकता है, जो कि राजस्व रिकार्ड को तैयार करते समय हुई हो। उपरोक्त प्रकरण में न तो अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में इस तरह का कोई दस्तावेज पेश किया गया। जिससे स्पष्ट होता हो कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि का आवंटन प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर को नहीं किया जाकर अपीलान्ट को किया गया था। जहां तक सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा की ओर से जारी किये गये प्रमाण पत्र दिनांक 05.10.2023 का प्रश्न है तो उक्त प्रमाण पत्र की कोई वैधानिक मान्यता नहीं है और न ही इस प्रमाण पत्र के आधार पर यह माना जा सकता है कि विवादित भूमि का आवंटन प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर को नहीं होकर अपीलान्ट को किया गया था तथा राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि करते समय अपीलान्ट के स्थान पर प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर का नाम दर्ज किया गया हो। इसके अलावा अपील के साथ संलग्न दस्तावेज पिछडी जाति का प्रमाण पत्र, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, परिवार राशन कार्ड आदि का जहां तक प्रश्न है तो इन दस्तावेजों के आधार पर उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है, क्योंकि अदालत मातहत मे प्रस्तुत हुये सभी राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि प्रहलाद पुत्र नारायण गुर्जर के नाम ही दर्ज है। अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में प्रस्तुत किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विवादित भूमि पूर्व में कभी भी अपीलान्ट के नाम दर्ज रही हो। केवल मात्र किसी भूमि पर कब्जा होने के आधार पर ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत किसी प्रकार की कोई राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि या इन्द्राज दुरूस्ती नहीं की जा सकती है। इसलिये उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.09.2023 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.09.2023 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 22.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर